न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

इन्द्रप्रसाद गौतम पिता श्री विशेषर प्रसाद गौतम उम्र 73वर्ष निवासी रामटेकरी कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0...निगराकार

बनाम

1. मीरा देवी आहूजा पत्नी स्व.राजेश कुमार आहूजा उम्र 60वर्ष

2. दीपक आहूजा पिता स्व.राजेश कुमार आहूजा उम्र 40वर्ष दोनों निवासी भरहुत नगर सतना जिला सतना म0प्र0

3. शासन म0प्र0 ....गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा50 भू0रा0 संहिता 1959, विरूद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 178अ12/16-17में पारित आदेश दिंनाक 31.10.17,

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क.1व2 द्वारा मौजा कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म.प्र. की आराजी नम्बर 1280/2/2 रकवा 0.077हे. के सीमांकन का आवेदन पत्र लायक अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया तथा लायक अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13.10.17 को सीमांकन बिना चौहद्दी कास्तकारों को सूचना दिये कर दिया गया

XXIX(a)-BR(H)-11

(58)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/0413

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 179/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	